लेखपाल संघ–जिन्दाबाद

संघे शक्ति सर्वदा

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

पंजी० संख्या : 75-4/II-A/359, 14 नवम्बर 1962

प्रधान कार्यालय : आलमबाग (सुजानपुरा, ओमनगर), पुराना बस स्टेशन के सामने, लखनऊ

E-mail : lekhpal.up@gmail.com

Web : www.lekhpal.wordpress.com

राम मूरत यादव
प्रदेश अध्यक्ष
: +91-9456225600
पत्रचार : मो. शिव दयाल कम्पाउंड, निकट आई.टी.सी., सहारनपुर-247001(उ.प्र.)

ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव
प्रदेश महामंत्री
: +91-9515281875
पत्रचार : कृष्णा नगर, देवरिया खास, निकट गीता भवन, हनुमान मंदिर, देवरिया (उ.प्र.)

● **उपाध्यक्षगण**

दीपक त्यागी
(पश्चिमी जोन)
–9536500281

राजेन्द्र सिंह कछवाह
(मध्य जोन)
–9450223683

रामपूजन राम
(पूर्वी जोन)
–9451510484

● **कोषाध्यक्ष**

विनोद कुमार कश्यप
–8923920103

● **संगठन मंत्रीगण**

सुदेश कुमार
(पश्चिमी जोन)
–9758547258

मनोज त्रिपाठी
(मध्य जोन))
–9415434880

विनोद यादव
(पूर्वी जोन)
–9415678593

● **लेखापरीक्षक**

भूपेन्द्र सिंह
–9198895639

पत्रांक MEMO 05/118 दिनांक 27-04-17

सेवा में,

मा0 अध्यक्ष

राजस्व परिषद, उ0 प्र0

विषयः– भूमि मे उत्तराधिकार दर्ज करने हेतु उ0 प्र0 राजस्व संहिता 2006, नियमावली 2016 का कियान्वयन सुनिश्चित कराने विषयक।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि जीवित खातेदार को मृतक दर्शाकर उत्तराधिकार दर्ज करने, गलत उत्तराधिकारी दर्ज होने तथा उत्तराधिकारी दर्ज करने से कुछ खाते छूट जाने की शिकायतें यदा कदा मीडिया में प्रसारित/प्रकाशित होती रहती थी। जिसका मूल कारण यह रहता था कि एक गांव में एक ही नाम व वल्दियत के दो या दो से अधिक खातेदार होते थे, जिससे उत्तराधिकारी दर्ज करने के अभियान में स्वप्रेरणा से उत्तराधिकारी दर्ज करने में वास्तविक मृतक खातेदार के वारिसान उसी नाम के दूसरे खातेदार की भूमि पर दर्ज हो जाते थे अथवा उत्तराधिकारी के बाहर निवास करने के कारण ग्राम में सही वारिसान तस्दीक न होने के कारण किसी उत्तराधिकारी का नाम छूटने अथवा नाम गलत होने की भी सम्भावना रहती थी। इसी प्रकार मुख्य खाते पर उत्तराधिकार दर्ज हो जाता था और संयुक्त खाता छूट जाता था। कई बार त्रुटिपूर्ण उत्तराधिकारी दर्ज होने के आधार पर ही भूमि के बैनामें हो जाते थे, जिससे भूमि विवाद एवं जनसंघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। शासन द्वारा इसे गम्भीरता से लिया गया और उ0 प्र राजस्व संहिता 2006 नियमावली 2016 में उत्तराधिकार दर्ज करने की एक सुनिश्चित, सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी व्यवस्था का प्रावधान किया गया। शासन द्वारा यह जनहित एवं शान्ति व्यवस्था बनाने और अभिलेखों की सुचिता बनाये रखने की दिशा में एक बहुत बडा कांतिकारी कदम है।

महोदय, उ0 प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 33 के अन्तर्गत उत्तराधिकार दर्ज करने का प्रावधान किया गया है, जिसकी प्रकिया नियमावली के नियम 29, 30 व 31 में दी गई है। संक्षिप्त में, मृतक खातेदार का कोई भी उत्तराधिकारी निर्धारित प्रारूप आर0 सी0–9 पर आवेदन उत्तराधिकार दर्ज करने हेतु किसी भी राजस्व अधिकारी अथवा लेखपाल के माध्यम से राजस्व निरीक्षक को देगा। आवेदन की जॉचोपरान्त राजस्व निरीक्षक उत्तराधिकार दर्ज करने की कार्यवाही

करेगा। ऐसी पारदर्शी प्रक्रिया से किसी भी त्रुटि की सम्भावना नहीं रहेगी तथा भूमि विवादों मे प्रभावी कमी आयेगी।

महोदय, मा0 परिषद द्वारा उत्तराधिकार दर्ज करने हेतु आर0 सी0–9 के कुछ प्रपत्र जनपदों पर भेजे गये हैं, जिनका वितरण कुछ जनपदों में कर दिया गया है तथा कुछ में अभी नहीं किया गया है। यह भी संज्ञान में लाना है कि उत्तराधिकार दर्ज करने में कुछ जनपदों में उ0 प्र0 राजस्व संहिता 2006 नियमावली 2016 का अनुपालन करते हुए निर्धारित प्रारूप आर0 सी0–9 पर उत्तराधिकार दर्ज किये जा रहे हैं जबकि कुछ जनपदों में इसका अनुपालन न करते हुए पुरानी व्यवस्था से ही पक11क पर ही उत्तराधिकार दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है जो कि राजस्व संहिता के प्रावधानों के विरूद्ध है।

अतः महोदय से निवेदन है कि समस्त जनपदों में प्रपत्र आर0 सी0–9 का वितरण कराते हुए उ0 प्र0 राजस्व संहिता 2006 नियमावली 2016 में निश्चित की गई उत्तराधिकार दर्ज करने की प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये तथा पुरानी व्यवस्था के अनुसार पक11क पर लेखपाल को उत्तराधिकार दर्ज करने के लिए बाध्य न किया जाये। इस पारदर्शी प्रक्रिया का प्रचार प्रसार भी स्थानीय समाचार पत्रों और तहसील के नोटिस बोर्ड के माध्यम से कराया जाये जिससे त्रुटिरहित शतप्रतिशत उत्तराधिकार दर्ज कराने का उददेश्य पूरा हो सके।

धन्यवाद।

भवदीय,

(ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव)
महामंत्री

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. मा0 प्रमुख सचिव राजस्व, उ0 प्र0 शासन।
2. मा0 समस्त जिलाधिकारी, उ0 प्र0।
3. समस्त जिलाध्यक्ष/जिलासचिव, उ0 प्र0 लेखपाल संघ।

(ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव)
महामंत्री